कार्यालय वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

उत्तराखण्ड शासन
अरण्य भवन, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष/फैक्स : 05946–220003 ई.मेलः cfwestern49@rediffmail.com.

पत्र संख्या 327 / 12-1 हल्द्वानी दिनांक 30 अगस्त, 2023।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– **जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत गौजाजाली में आंवला चौकी गेट–मुस्कान केन्द्र के समीप कियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्रामीण निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/09/08/2023/एफ0सी0/1583 दिनांक 16.02.2023।

महोदय,

संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार द्वारा आपत्ति लगायी गयी, जिसके कम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी द्वारा अपनी पत्र संख्या 1272/12–1 दिनांक 26.08.2023 से आख्या इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है, जो निम्नानुसार हैः–

आपत्ति	प्रतिउत्तर
"On perusal of the proposal, It is found that the purpose of the project is not clear. State Govt. has not provided the justification regarding locating the project in the forest land. No efforts have been made to find an alternative land in non-forest area. Further, being a non-site-specific case, such infrastructures cannot be allowed an Reserve Forest Hence, the State Govt. is requested to explore non-forest land for the said purpose."	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनकी पत्र संख्या 5283/12–1 दिनांक 28.02.2023 से प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त परियोजना हेतु गैर वानिकी भूमि के अन्य विकल्पों के लिये जिलाधिकारी नैनीताल से विचार–विर्मश/दिशा निर्देश उपरान्त अनुपालन प्रभागीय कार्यालय में प्रेषित करने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश के अनुपालन में 26.06.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसकी प्रति प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। जिलाधिकारी नैनीताल ने पत्रांक–693/ 12–ज्येड0ए0सी0 /2023–24 दिनांक 22.08.2023 द्वारा अवगत कराया है कि संयुक्त निरीक्षण आख्या से प्रतीत होता है कि राजस्व भूमि आबादी के समीप होने के कारण उपयुक्त नहीं है। क्रियाशाला हेतु ऑवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बायी ओर लगभग 01 बीघा अर्थात 0.063 है0 वन भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जो कि वृक्ष विहीन है। आबादी से दूर होने के कारण उक्त वन भूमि पर क्रियाशाला का निर्माण किया जाना उचित होगा।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी की आख्या मय संलग्नकों सहित सादर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Sandeep.bhandari01@gmail.com/ works_2023-24

पत्रांक 327 /12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनकी पत्र संख्या 1272 / 12–1 दिनांक 26.08.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(दीप चन्द्र आर्य)
वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

Sandeep.bhandari01@gmail.com/ works_2023-24

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी

शीशमबाग वन परिसर, जेल रोड, हीरानगर, हल्द्वानी, जिला नैनीताल
E-mail : dfote@rediffmail.com, Phone: 05946-254309, Fax: 05946-250298

पत्रांक 1272 / 12–1 हल्द्वानी, दिनांक 26-08-2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
पश्चिमी वृत्त,
हल्द्वानी।

विषयः– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र लालकुंआ के अन्तर्गत गौजाजाली में आंवला चौकी गेट–मुस्कान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण हेतु 0.063है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग को गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन के संबध में।(**FP/UK/Others/155392/2022**)

संदर्भः– कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग का पत्रांक–1105 / ग्रा0नि0वि0 / मु0मं0घोषणा / 2023–24 (संलग्न (1)) दिनांक–23.08.2023 ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन एकीकृत क्षेत्रीय मंत्रालय देहरादून के पत्र सं0–8बी / यू.सी.पी. / 09 / 08 / 2023 / एफ.सी. / 1583 (सं0-2) दिनांक–16.02.2023 द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में निम्न प्रकार निर्देशित किया गया हैः–

"On perusal of the proposal, It is found that the purpose of the project is not clear. State Govt. has not provided the justification regarding locating the project in the forest land. No efforts have been made to find an alternative land in non-forest area. Further, being a non-site-specific case, such infrastructures cannot be allowed an Reserve Forest Hence, the State Govt. is requested to explore non-forest land for the said purpose."

उक्त निर्देशानुसार इस कार्यालय के पत्रांक–5283 / 12–1 दिनांक–28.02.2023 (3) के द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को उक्त परियोजना हेतु गैर वानिकी भूमि के अन्य विकल्पों के लिये जिलाधिकारी नैनीताल से विचार–विर्मश / दिशा निर्देश उपरान्त अनुपालन इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु लिखा गया। जिसके क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संदर्भित पत्र से अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी नैनीताल के आदेश के अनुपालन में 26.06.2023 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। जिसकी प्रति संलग्न है। (सं0-4)

जिलाधिकारी नैनीताल ने पत्रांक–693 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2023–24 दिनांक–22.08.2023(संलग्न-5) द्वारा अवगत कराया है कि संयुक्त निरीक्षण आख्य से प्रतीत होता है कि राजस्व भूमि आबादी के समीप होने के कारण उपयुक्त नहीं है। क्रियाशाला हेतु ऑवला चौकी मुस्कान केन्द्र के बायी ओर लगभग 01 बीघा अर्थात 0.063है0 वन भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जो कि वृक्ष विहीन है। आबादी से दूर होने के कारण उक्त वन भूमि पर क्रियाशाला का निर्माण किया जाना उचित होगा।

अतः उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

कार्यालय, वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, अरण्य भवन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी
प्राप्ति संख्या 1186
12-1
28-08-2023

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी।

पत्रांकः– 1272/12-1 उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड नैनीताल।
2. जिलाधिकारी नैनीताल।
3. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।

(संदीप कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन प्रभाग,हल्द्वानी

संलग्नक - (1)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड नैनीताल।

Phone No.– 05946–248396 email:- eerwdntl@gmail.com

पत्रांक 1105 /ग्रा0नि0वि0/मु0मं0घोषणा/2023–24 दि0 23.08.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई पूर्वी वन–प्रभाग,
हल्द्वानी।

विषयः– **गौजाजाली में ऑवला चौकी गेट मुसकान केन्द्र के समीप क्रियाशाला संस्कार स्थल के निर्माण कार्य हेतु 0.063 है0 वन भूमि ग्रामीण निर्माण विभाग, को गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 5283/12–1 दि0 28.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लेखित किया गया है कि भारत सरकार द्वारा उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रस्ताव को एक Non-Sitte-Specific प्रकरण होने के कारण आरक्षित वन क्षेत्र में स्थापित करना आवश्यक नहीं है, एवं उक्त प्रस्ताव हेतु गैर वानिकी क्षेत्र के चयन के लिये अन्य कोई प्रयास भी नहीं किये गये।

उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1704/ ग्रा0नि0वि0/04–प्रा0/2022–23 दि0 28.03.2023 के द्वारा जिलाधिकारी महोदय नैनीताल को अवगत कराते हुए उचित दिशा–निर्देश मांगे गये। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा पत्र सं0 134/12–ज्येड0ए0सी0 दिनांक 26.04.2023 के क्रम में उपजिलाधिकारी, हल्द्वानी को गैर वानिकी क्षेत्र में कार्यशाला हेतु भूमि चयन कर विधिवत प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी द्वारा पत्रांक–174/12–ज्येड0ए0सी0 /2022–23 दिनांक 16.05.2023 के क्रम में उपजिलाधिकारी हल्द्वानी को कार्यशाला हेतु वन भूमि के संबंध में जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबधित पक्ष एवं जिलाधिकारी कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिये गये। जिसके क्रम में उपजिलाधिकरी द्वारा जिलाधिकारी महोदय को उक्त संबंधित प्रकरण पर जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी।

तदोपरान्त श्री संजय पाण्डे, जन सेवा समिति गौजाजाली, हल्द्वानी के जिलाधिकारी महोदया को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 21.06.2023 के द्वारा ग्राम गौजाजाली बिचली तहसील हल्द्वानी में क्रियाशाला हेतु वन भूमि चिन्हित करने का अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदया नैनीताल, द्वारा कार्यालय आदेश संख्या 334/12–ज्येड0ए0सी0/2023–24 दि0 23. जून 2023 के माध्यम से संयुक्त निरीक्षण आख्या हेतु आपको, उपजिलाधिकारी हल्द्वानी एवं अधोहस्ताक्षरी को नामित करते हुए उक्त प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण आख्या चाही गयी। जिसके क्रम में दिनांक 26.06.2023 को क्रियाशाला निर्माण हेतु भूमि चयन के संबन्ध में नामित सदस्यों द्वारा संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी महोदया को आख्या उपलब्ध करायी गयी।

जिलाधिकारी महोदया के पत्र सं0/693/12–ज्येड0ए0सी0/2023–23 दिनांक 22.08.2023 के क्रम में उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

कार्यालय तराई पूर्वी वन प्रभाग
हल्द्वानी
प्राप्ति सं० 2393
पंजी० सं० 127
दिनांक 23/8/22

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार,

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सादर सूचनार्थ प्रषित।

(1) वन संरक्षक पश्चिमी वृत्त, हल्द्वानी।

(2) जिलाधिकारी, नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
प्रखण्ड नैनीताल।